रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-26092024-257532
CG-MH-E-26092024-257532

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 549] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 2024/आश्विन 3, 1946
No. 549] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 2024/ASVINA 3, 1946

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

मुंबई, 25 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 591(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग में निजी सहायक, निजी सचिव, प्रधान निजी सचिव, ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव और प्रधान स्टाफ अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग आशुलिपिक काडर (सचिवालय), समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना– ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं, आदि - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता-वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. प्रारंभिक गठन- ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले नियमित आधार पर निजी सहायक, निजी सचिव, प्रधान निजी सचिव, ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव तथा प्रधान स्टाफ अधिकारी का पद धारण कर रहे हैं इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उनकी नियमित और निरंतर सेवा को परिवीक्षा, प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजनों के लिए गणना में लिया जाएगा।

7. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध कर, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. निजी सहायक।	18*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपए)।	अचयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति - भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	एक वर्ष	**प्रोन्नति द्वारा :** (i) अस्सी प्रतिशत विभागीय अर्हता परीक्षा द्वारा। (ii) बीस प्रतिशत ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
विभागीय अर्हता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपए) में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी 'घ' जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के माध्यम से प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपए) में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी 'घ' जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1.-** प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। **टिप्पण 2.-** विभागीय अर्हता परीक्षा कोटा के लिए पात्र अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होना अपेक्षित है और जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उन्हें अंग्रेजी में सात मिनट की अवधि में एक सौ	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:** 1. उप सचिव (प्रशासन) -अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (प्रशासन) -सदस्य; 3. उप लेखा नियंत्रक, परमाणु ऊर्जा विभाग – सदस्य। **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:** 1. उप सचिव (प्रशासन) -अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (प्रशासन) -सदस्य; 3. उप लेखा नियंत्रक, परमाणु ऊर्जा विभाग – सदस्य।	लागू नहीं होता।

बीस शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि कौशल परीक्षा देनी होगी, जिसे पैंतालीस मिनट में प्रतिलेखन करना होगा या हिंदी में सात मिनट की अवधि में एक सौ बीस शब्द प्रति मिनट की अवधि में, जिसे एक घंटे में प्रतिलेखन करना होगा। **टिप्पण-3.-** ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता कोटा के अधीन प्रोन्नति के लिए, पात्र अभ्यर्थियों से सात मिनट की अवधि में एक सौ बीस शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित है, जिसे पैंतालीस मिनट में प्रतिलेखन करना होगा या हिंदी में सात मिनट की अवधि में एक सौ बीस शब्द प्रति मिनट जिसे एक घंटे में प्रतिलेखन करना होगा। **टिप्पण 4.-** प्रोन्नत व्यक्तियों को परिवीक्षा के दौरान प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। **टिप्पण 5.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. निजी सचिव	13*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रुपए)।	चयन

(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपए) में ऐसे निजी सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1.-** प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। **टिप्पण 2.-** पात्र अभ्यर्थियों से, अंग्रेजी में सात मिनट की अवधि में एक सौ शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि कौशल परीक्षा, जिसे पैंतीस मिनट की अवधि में प्रतिलेखन करना होगा या हिंदी में सात मिनट की अवधि में एक सौ शब्द प्रति मिनट, जिसे पैंतालीस मिनट में प्रतिलेखन कर उत्तीर्ण करना अपेक्षित हैं। आशुलिपिक कौशल परीक्षा देते समय वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी जो आशुलिपि कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं से चयन के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा के बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार में उपस्थित होना अपेक्षित है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा या साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को, पैनल में सम्मिलित करने के लिए नामों की सिफारिश करते समय चयन समिति द्वारा अन्य मापदंडों के साथ विचार किया जाएगा।	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:** 1. प्रशासन के प्रभारी अपर सचिव या संयुक्त सचिव – अध्यक्ष; 2. काडर के प्रभारी निदेशक या उप सचिव – सदस्य; 3. परमाणु ऊर्जा विभाग निदेशक (कार्मिक और प्रशासन) – सदस्य।	लागू नहीं होता।

टिप्पण 3.- प्रोन्नत व्यक्तियों को नियुक्ति पर प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। **टिप्पण 4.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.प्रधान निजी सचिव।	7*(2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय पद।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपए)।	चयन।

(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	एक वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : (i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपए) में ऐसे निजी सचिव जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे**: 1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव (प्रशासन),	लागू नहीं होता।

नियमित सेवा की हो; या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपए) में ऐसे ज्येष्ठ निजी सचिव जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपए) में ऐसे निजी सचिव (गैर-सचिवालय) जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो । **टिप्पण 1.-** प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। **टिप्पण 2.-** पात्र अभ्यर्थियों से अंग्रेजी में सात मिनट की अवधि में एक सौ शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित है, जिसे पैंतीस मिनट में प्रतिलेखन करना होगा या हिंदी में सात मिनट की अवधि में एक सौ शब्द प्रति मिनट जिसे पैंतालीस मिनट में प्रतिलेखन करना होगा। आशुलिपि कौशल परीक्षा देते समय वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान अनिवार्य है। अभ्यर्थी जो आशुलिपि कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले हैं से चयन के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा के बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार में उपस्थित होना अपेक्षित है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा या साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को पैनल में सम्मिलित करने के लिए नामों की सिफारिश करते समय चयन समिति द्वारा अन्य मापदंडों के साथ विचार किया जाएगा। **टिप्पण 3.-** प्रोन्नत व्यक्तियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्ति पर प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। **टिप्पण 4.-** विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा पैनल तैयार करते समय परस्पर ज्येष्ठता पोषक काडर अधिकारियों की पात्रता पर	परमाणु ऊर्जा विभाग – अध्यक्ष; 2. किसी भी संघटक इकाई के प्रमुख – सदस्य; 3. नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र – सदस्य; 4. मुख्य लेखा नियंत्रक, परमाणु ऊर्जा विभाग -सदस्य; 5. परमाणु ऊर्जा विभाग/ किसी इकाई के निदेशक (कार्मिक और प्रशासन) - सदस्य। **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :** 1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव (प्रशासन), परमाणु ऊर्जा विभाग – अध्यक्ष; 2. किसी भी संघटक इकाई के प्रमुख – सदस्य; 3. नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र – सदस्य; 4. मुख्य लेखा नियंत्रक, परमाणु ऊर्जा विभाग -सदस्य; 5. परमाणु ऊर्जा विभाग/ किसी इकाई के निदेशक (कार्मिक और प्रशासन) - सदस्य।	

आधारित होगी। **टिप्पण 5.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव।	2*(2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित पद।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रुपए)।	चयन।

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपए) में ऐसे प्रधान निजी सचिव जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1.-** प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :** 1. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग - अध्यक्ष; 2. निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र – सदस्य;	लागू नहीं होता।

तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। **टिप्पण 2.-** चयन उनके सेवा अभिलेख और वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का आकलन करने के पश्चात और सम्यक रूप से गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के पश्चात पात्रता के आधार पर किया जाएगा। **टिप्पण 3.-** प्रोन्नत व्यक्तियों को नियुक्ति पर प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। **टिप्पणी 4 -** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	3. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, केंद्रीयकृत प्रशासन काडर, परमाणु ऊर्जा विभाग – सदस्य; 4. संयुक्त सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट – सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. प्रधान स्टाफ अधिकारी।	1*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900 रुपए)।	चयन।

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रुपए) में ऐसे ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1-** प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। **टिप्पण 2-** चयन उनके सेवा अभिलेख और वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का आकलन करने के पश्चात और सम्यक रूप से गठित प्रोन्नति समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के पश्चात पात्रता के आधार पर किया जाएगा। **टिप्पण 3-** प्रोन्नत व्यक्तियों को नियुक्ति पर प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। **टिप्पण 4-** यदि कोई अभ्यर्थी प्रधान स्टाफ अधिकारी के पद के लिए पात्र नहीं है, तो पद (वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (78800-209200 रुपए) में ज्येष्ठ प्रधान	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:** 1. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग - अध्यक्ष; 2. निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र – सदस्य; 3. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, केंद्रीयकृत प्रशासन काडर के प्रभारी, परमाणु ऊर्जा विभाग – सदस्य; 4. संयुक्त सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – सदस्य।	लागू नहीं होता।

निजी सचिव के रूप में संचालित किया जाएगा। **टिप्पणी 5 -** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

[फा. सं. 19/8/2022-सीसीएस/13773]

ए.आर.सुले, अपर सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th September, 2024

G.S.R. 591(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Personal Assistant, Private Secretary, Principal Private Secretary, Senior Principal Private Secretary and Principal Staff Officer in the Department of Atomic Energy, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Department of Atomic Energy, Stenographer Cadre (Secretariat), Group 'A' and 'B' Posts, Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. – These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

6. Initial constitution. – The incumbents holding the posts of Personal Assistant, Private Secretary, Principal Private Secretary, Senior Principal Private Secretary and Principal Staff Officer on a regular basis prior to the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules and their regular and continuous service shall be counted for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

7. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	**Number of posts**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Personal Assistant.	18*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Non - Selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	(9)	(10)
Not applicable	One year	**By promotion:** (i) eighty per cent. by Departmental qualifying examination. (ii) twenty per cent. by Seniority-cum-Fitness.

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in**

deputation/absorption to be made.		**making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
Promotion through Departmental qualifying examination: Stenographer Grade 'D' in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with three years of regular service in the grade. Promotion through Seniority-cum-Fitness: Stenographer Grade 'D' in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with five years of regular service in the grade. **Note 1:** The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be 1st January of the vacancy year. **Note 2:** The eligible candidates are required to appear for written examination for Departmental qualifying examination quota and those who qualify written examination are required to take stenography skill test in English of one hundred and twenty words per minute of seven minutes duration to be transcribed in forty-five minutes or in Hindi of one hundred and twenty words per minute of seven minutes duration to be transcribed in one hour. **Note 3:** For promotion under Seniority-cum-Fitness quota, eligible candidates are required to qualify stenography skill test of one hundred and twenty words per minute of seven minutes duration to be transcribed in forty-five minutes or one hundred and twenty words per minute of seven minutes duration in Hindi to be transcribed in one hour. **Note 4:** Promotees shall undergo Training from the Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy during the probation period. **Note 5:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Deputy Secretary (Administration) -Chairperson; 2. Under Secretary (Administration) - Member; 3. Deputy Controller of Accounts, Department of Atomic Energy - Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Deputy Secretary (Administration) - Chairperson; 2. Under Secretary (Administration) - Member; 3. Deputy Controller of Accounts, Department of Atomic Energy - Member.	Not applicable.

seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Private Secretary.	13* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100).	Selection.

(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Personal Assistants in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years of regular service in the grade. **Note 1:** The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be 1st January of the vacancy year. **Note 2:** Eligible candidates are required to qualify in a stenography skill test in English of one hundred words per minute of seven minutes duration to be transcribed in thirty-five minutes or in Hindi of one hundred words per minute of seven minutes duration to be transcribed in forty-five minutes. Knowledge of word processing is compulsory while taking the stenography skill test. The candidates who qualify in the stenography skill test are required to appear for an objective test followed by personal interview for selection. The marks obtained in the objective test or interview will be taken into consideration among	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Additional Secretary or Joint Secretary in charge of Administration – Chairperson; 2. Director or Deputy Secretary in charge of Cadre - Member; 3. Director (Personnel and Administration), Department of Atomic Energy - Member.	Not applicable.

other parameters by the Selection Committee while recommending the names for empanelment. **Note 3:** Promotees shall undergo Training from the Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy on appointment. **Note 4.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Principal Private Secretary.	7*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	Selection.

(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	One year	By Promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) Private Secretary in level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) in Department of Atomic Energy Secretariat with six years of regular service in the grade; or (ii) Senior Private Secretary in level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) with six years of regular service in the grade; or (iii) Private Secretary (Non-Secretariat) in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) in the	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Additional Secretary or Joint Secretary (Administration), Department of Atomic Energy – Chairperson; 2. Head of any constituent Unit – Member; 3. Controller, Bhabha Atomic Research Centre – Member; 4. Chief Controller of Accounts, Department of Atomic Energy – Member; 5. Director (Personnel and Administration) of Department	Not applicable.

Department with eight years of regular service in the grade. **Note 1:** The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be 1st January of the vacancy year. **Note 2:** Eligible candidates are required to qualify in a stenography skill test in English of one hundred words per minute of seven minutes duration to be transcribed in thirty-five minutes or in Hindi of one hundred words per minute of seven minutes duration to be transcribed in forty-five minutes. Knowledge of word processing is compulsory while taking the stenography skill test. The candidates who qualify in the stenography skill test are required to appear for an objective test followed by personal interview for selection. The marks obtained in the objective test or interview will be taken into consideration among other parameters by the Selection Committee while recommending the names for empanelment. **Note 3:** Promotees shall undergo Training from the Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy on appointment during probation period. **Note 4:** The *inter-se-seniority*, while preparing the panel by Departmental Promotion Committee shall be based on the eligibility of feeder cadre officers. **Note 5:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	of Atomic Energy or any unit – Member. **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Additional Secretary or Joint Secretary (Administration), Department of Atomic Energy – Chairperson; 2. Head of any constituent Unit – Member; 3. Controller, Bhabha Atomic Research Centre – Member; 4. Chief Controller of Accounts, Department of Atomic Energy – Member; 5. Director (Personnel and Administration) of Department of Atomic Energy or any unit – Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

4. Senior Principal Private Secretary.	2*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted.	Level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Selection.

(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)
Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Principal Private Secretary in level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) with five years of regular service in the grade. **Note 1:** The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be 1st January of the vacancy year. **Note 2:** Selection shall be made on merit after assessing the suitability of the candidates based on their service record and Annual Performance Appraisal Report and after interviewing the eligible candidates by a duly constituted Departmental Promotion Committee. **Note 3:** Promotees shall undergo Training from the Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy on appointment. **Note 4:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Secretary, Department of Atomic Energy - Chairperson; 2. Director, Bhabha Atomic Research Centre - Member; 3. Additional Secretary or Joint Secretary of Centralised Administration Cadre, Department of Atomic Energy - Member; 4. Joint Secretary, Department of Atomic Energy nominated by Secretary, Department of Atomic Energy - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Principal Staff Officer.	1*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted.	Level-13 in the pay matrix (Rs.123100-215900).	Selection.

(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)
Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Senior Principal Private Secretary in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200) with five years of regular service in the grade. **Note 1:** The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be 1st January of the vacancy year. Note 2: Selection shall be made on merit after assessing the suitability of the candidates based on their service record and Annual Performance Appraisal Report and after interviewing the eligible candidates by a duly constituted Departmental Promotion Committee. **Note 3:** Promotees shall undergo Training from the Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy on appointment. **Note 4:** In case no candidate is eligible for the post of Principal Staff Officer, the post shall be operated as Senior Principal Private Secretary (level 12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix). **Note 5:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered	**Group ‘A’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Secretary, Department of Atomic Energy - Chairperson; 2. Director, Bhabha Atomic Research Centre - Member; 3. Additional Secretary or Joint Secretary, In-charge of Centralised Cadre in the Department of Atomic Energy - Member; 4. Joint Secretary, Department of Personnel and Training - Member.	Not applicable.

provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

[F. No. 19/8/2022-CCS/13773]

A. R. SULE, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.09.26 22:31:14 +05'30'